न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 70 सन 2019
अनवान :–

1. हुणताराम पुत्र हरिराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. हरिराम पुत्र मोहनराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. पूर्णचन्द 3 विधाधर 4 दयाराम 5 चन्दो पुत्री पुत्रीया हरिराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 28.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 608/116 के खसरा न0 51/2 की 0.3290हैक खसरा न0 111/4 की 2.4410हैक , खसरा न0 225/1 की 3.7940हैक कुल 6.5640हैक एवं रोही मौजा खूइया के खसरा न0 596/2 की 2.17 बीधा , खसरा न0 644/7 की 17 बिस्वा कुल 10.14 बीधा भूमि जिसके वादी के दादा मोहनराम खातेदार काश्तकार थे वादी के दादा मोहनराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 608/116 की 6.5640हैक एवं रोही मौजा खूइया के खाता संख्या 405/164 की 2.7070हैक भूमि आई विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक साम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 608/116 की कुल 6.5640हैक एवं रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 405/164 की कुल 2.7070 हैक दोनो खातों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पक्की डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official